(5) संख्या-618/5-6-1999

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 — लखनऊ: : दिनांक 1 अप्रैल, 1999

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। महानिदेशालय द्वारा परीक्षित दावों के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा उपचार का एक साइक्लोस्टाइल प्रोफार्मा कवरिंग लेटर लगा होता है जिसमें मात्र यह अंकितकिया जाता है कि दावे का परीक्षण कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत करते हुए अमुख धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य की जाती है। कवरिंग लेटर के साथ चिकित्सा दावा संलग्न रहता है जिसमें अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर निदेशक, चिकित्सा उपचार द्वारा धनराशि लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। कवरिंग लेटर अथवा कहीं भी यह उल्लेख नहीं रहता है कि जो धनराशि अनुमन्य की जा रही है उसका क्या आधार है। कभी-कभी रोगी के रोग का नाम तथा चिकित्सालय में उसकी भर्ती की अवधि तक इंगित नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग अथवा चिकित्सा विभाग को यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जो धनराशि अनुमन्य इंगित की गयी है वे किन-किन औषधियों के सापेक्ष अनुमन्य की गयी है तथा उसका आधार क्या है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में जो चिकित्सा दावे परीक्षण कर प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये जायें उनमें यह उल्लेख अवश्य रहे कि दावे के सापेक्ष धनराशि अनुमन्य इंगित की जा रही है उसका क्या आधार है । महानिदेशालय के आवरण पत्र में यह उल्लेख भी होना चाहिए

.....2/-

कि रोगी किस रोग से ग्रस्त था तथा किस अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती रहा। दावे के सापेक्ष जिन औषधियों अथवा अन्य सामग्री की प्रतिपूर्ति अनुमन्य इंगित की जाए उनको एक सूची उसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर (जो अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है) अवश्य संलग्न की जाए। साथ ही चिकित्सा दावे के साथ समस्त बिल/वाउचर्स पर जिन औषधियों/सामग्री की अनुमन्यता की जा रही है उनको लाल स्याही से टिक (✓) किया जाए तथा बिल/वाउचर्स पर ही धनराशि अंकित करके सम्बन्धित अनुभाग के वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

3- शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित दावे महानिदेशालय के सम्बन्धित अनुभाग-।। क में नहीं प्राप्त किये जाते बल्कि समस्त दावे महानिदेशालय के केन्द्रीय अनुभाग में प्राप्त किये जाते हैं और तत्पश्चात् सम्बन्धित अनुभाग में भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में दावे सम्बन्धित अनुभाग को पहुंचने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से सम्बन्धित अनुभाग (।।क) एवं केन्द्रीय अनुभाग को यह निर्देश जारी कर दें कि भविष्य में सभी दावे अनुभाग-।।क में ही प्राप्त किये जायें तथा केन्द्रीय अनुभाग में कोई भी दावा प्राप्त न किया जाये।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राकेश कुमार गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-6184।/5-6-तददिनांक

प्रतिलिपि डा, स जो० रिजवी, निदेशक, [illegible] स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

से.

राकेश कुमार गोयल
विशेष सचिव